

# !!सराहनीय कार्य!!

जनपद बस्ती

दिनांक- 13.09.2022

थाना वाल्टरगंज पुलिस व स्वाट टीम की संयुक्त कार्यवाही द्वारा  
थाना वाल्टरगंज अंतर्गत ग्राम कठनौली में दिनांक 31.8.2022 को  
हुई हत्या का सफल अनावरण किया गया-

दिनांक 31.8.2022 को ग्राम कठनौली थाना वाल्टरगंज में सायं लगभग 05.30 बजे महिला राधिका देवी पत्नी जनार्धन प्रसाद की हत्या हुई थी जिसके सम्बन्ध में उसके पुत्र श्री अशोक कुमार द्वारा थाना वाल्टरगंज पर मु0अ0स0 270/22 धारा 302/34 IPC बनाम अनिल कुमार व अन्य अज्ञात साथी पंजीकृत कराया गया था। उक्त अभियोग के वास्तविक तथ्यों एवं अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक बस्ती महोदय द्वारा क्षेत्राधिकारी सदर बस्ती के नेतृत्व में थानाध्यक्ष वाल्टरगंज एवं स्वाट टीम बस्ती को लगाया गया था। उक्त अभियोग की विवेचना थानाध्यक्ष वाल्टरगंज श्री योगेश कुमार सिंह द्वारा प्रारम्भ की गयी। प्रकरण में अपर पुलिस अधीक्षक बस्ती महोदय के पर्यवेक्षण में आज दिनांक 13.09.2022 को घटना का सफल अनावरण किया गया। मुकदमा उपरोक्त की विवेचना के दौरान वादी मुकदमा अशोक कुमार द्वारा लगातार उसके द्वारा नामजद किए गए मुकदमे में अभियुक्त अनिल कुमार को जेल भेजने का दबाव बनाया जा रहा था। जब गहराई से छानबीन की गई तो यह प्रकाश में आया कि नामजद अभियुक्त अनिल घटना के दौरान बस्ती में एक ढाबे पर मौजूद था तथा कोई असामान्य गतिविधि नहीं कर रहा था और ना ही किसी प्रकार का फोन अथवा अन्य साधनों द्वारा अनियमितता प्रकाश में आई। जब वादी मुकदमा के गांव में जाकर गहनता से जांच की गई तथा वादी मुकदमा की गतिविधि के बारे में

पता किया गया तो, यह प्रकाश में आया कि वादी मुकदमा अशोक का अपने भाई की पत्नी के साथ गहरे संबंध थे एवं वह लगातार अपनी भाई की अनुपस्थिति में अपने भाई की पत्नी से वार्ता करता रहता था तथा हैदराबाद जा कर भी भाई की पत्नी से मुलाकात किया था। इस तथ्य को वादी मुकदमा एवं वादी मुकदमा के भाई की पत्नी द्वारा सिरे से ही इनकार कर दिया गया, जबकि इन दोनों के लगातार लंबी वार्ता के साक्ष्य मौजूद हैं। इसी कारण वादी मुकदमा पर संदेह उत्पन्न होना शुरू हो गया, जिसको केंद्र बिंदु पर रखकर विवेचना की गई। घटनास्थल का पुनः परीक्षण किया गया। वहां यह तथ्य प्रकाश में आया कि घटनास्थल से दूर-दूर तक स्पष्ट दिखाई देता है एवं घटनास्थल के आसपास मौजूद लोगों द्वारा भी बाहरी व्यक्ति को घटनास्थल से बाहर जाते हुए किसी को नहीं देखा गया था। घटना वाले दिन हल्की बारिश के बाद लोग आसपास अपने खेतों में काम भी कर रहे थे, घटनास्थल पर मात्र मृत्तिका एवं वादी मुकदमा की मौजूदगी के साक्ष्य मिले हैं। इस प्रकार वादी मुकदमा पर संदेह और भी गहरा हो गया। गंभीरता से पूछने पर वादी मुकदमा ने भाई की पत्नी से संबंध होना स्वीकार किया है। जिसका, माँ द्वारा विरोध करने पर उक्त घटना को कारित किया जाना बताया गया। प्रकरण में वादी के भाई की पत्नी की संलिप्तता की जांच की जा रही हैं। अभियोग में वादी अशोक कुमार पुत्र स्व० जनार्दन की घटना में संलिप्तता होने के साक्ष्य के आधार पर गिरफ्तार कर मा० न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

### **गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-**

1. अशोक कुमार पुत्र स्व० जनार्दन प्रसाद साकिन कठिनौली थाना वाल्टरगंज जनपद बस्ती उम्र 42 वर्ष।

### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

1. थानाध्यक्ष वाल्टरगंज श्री योगेश कुमार सिंह जनपद बस्ती।
2. स्वाट टीम प्रभारी 30नि० श्री गजेन्द्र प्रताप सिंह जनपद बस्ती।
3. 30नि० श्री जितन्द्र मिश्रा थाना वाल्टरगंज जनपद बस्ती।

4. हे0का0 प्रदीप सिंह थाना वाल्टरगंज जनपद बस्ती।

5. महिला का0 प्रीती कुशवाहा थाना वाल्टरगंज जनपद बस्ती।

6. का0 प्रदुम्न कुमार, का0 संजय यादव, का0 बलवन्त यादव, का0 अभिषेक यादव, का0 शिवम गिरी थाना वाल्टरगंज जनपद बस्ती।

7. का0 धीरज यादव, का0 अरविन्द यादव, का0 धर्मेन्द्र कुमार, का0 किशन सिंह, का0 सुधीर कुमार शर्मा स्वाट टीम जनपद बस्ती।

